



छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग,
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक एफ 20-95 / 2004 / 11 / (6)

रायपुर दिनांक 18.08.2011

प्रति,

1. उद्योग आयुक्त,
उद्योग संचालनालय,
रायपुर
2. प्रबंध संचालक,
छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि.,
रायपुर

विषय:- औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर भू-आबंटन सेवा शुल्क।

संदर्भ :- शासन का आदेश क्रमांक एफ-20-95 / 04 / 11 / (6) / 2004 दिनांक 04.05.2005।

राज्य शासन द्वारा संदर्भित आदेश को संशोधित करते हुये यह निर्णय लिया गया है कि औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर निजी भूमि अर्जन अथवा शासकीय भूमि के हस्तांतरण से प्राप्त भूमि को उद्योग विभाग / छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. (सीएसआईडीसी) द्वारा आबंटित किये जाने पर भूमि अर्जन के मूल्य के बराबर राशि पर 10% सेवा शुल्क अधिरोपित कर भूमि आबंटित की जावे।

2- यह आदेश अधिसूचना जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा।

3- इस आदेश पर वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक 379/सी.एन. 00000/06 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है।

(सचिव द्वारा अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

सही / -
(डी.डी. सिंह)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग